आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

REC Limited | आरईसी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2024/1736 दिनांक: 18 जून, 2024

लिस्टिंग विभाग, **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** **एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,** **बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१**	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग,** **बीएसई लिमिटेड** **पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स,** **दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१**
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai-400 051**	**Corporate Relationship Department,** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, **Mumbai - 400 001**
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम लाभांश के लिए 'रिकॉर्ड तिथि' की सूचना।

महोदय/महोदया,

दिनांक 30 अप्रैल, 2024 की हमारी पिछली सूचना के संदर्भ में, जिसमें यह सूचित किया गया था कि आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹10/- प्रत्येक इक्विटी शेयर पर @ ₹5/- (केवल पाँच रुपये) की दर से अंतिम लाभांश पर विचार किया और उसकी अनुशंसा की, जो आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए **शुक्रवार, 28 जून, 2024** को **'रिकॉर्ड तिथि'** के रूप में निर्धारित किया है। आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात, उक्त अंतिम लाभांश का भुगतान/प्रेषण 30 दिनों के भीतर उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम (क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में **28 जून, 2024** को कारोबारी समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत विवरण में लाभकारी स्वामी के रूप में दर्ज हैं; तथा (ख) कागज के रूप में रखे शेयरों के संबंध में **28 जून, 2024** को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के टैक्सेबल इन हैंड है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या कोई कर न काटा जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पैन, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति, अगर पहले जमा नहीं की है तो **31 जुलाई 2024** को या उससे पहले 'virenders@alankit.com' पर ईमेल के माध्यम से, जिसकी एक प्रति 'recigr@alankit.com' पर मार्क की गई हो, के माध्यम से जमा करनी होगी । **31 जुलाई 2024** के बाद कम दरों पर कर निर्धारण/कर कटौती पर कोई संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि अपेक्षित विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर उच्च दर से काटा जाता है, तो शेयरधारकों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करके अतिरिक्त भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी के खिलाफ ऐसे करों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, शेयरधारक अपने फॉर्म 26एएस में टीडीएस का क्रेडिट देख पाएंगे, जिसे उनके ई-फाइलिंग खाते 'https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/' से डाउनलोड किया जा सकता है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti Shubhra Amitabh

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव